

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या-229/2015

प्रार्थनी	बनाम	अप्रार्थीगण
लीला पत्नी पोकरराम जाति जाट निवासी रेण तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर।		1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्लॉक नागौर

उपस्थित-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्यामकुमार व्यास।
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांक: 26-03-18

1- प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के कि.मी. 24/100 से कि.मी. 157/000 (अजमेर-नागौर खण्ड) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने 2 लाईन सहित पैड शोल्डर को बनाना) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित अवार्ड दिनांक 23.07.2014 के विरुद्ध प्रार्थनी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपटित धारा 21 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 02.12.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।

2-उभय पक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थनी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि-

2(1)- अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 (अजमेर-नागौर खण्ड) के निर्माण चौड़ा करने, दो लेन पैड शोल्डर को बनाने आदि के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की ओर भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या-187/2014 प्रार्थनी के संबंध में दर्ज कर अधिनियम 1956 के तहत 14.11.14 को प्रेषित किया, जिसके द्वारा प्रार्थी को यह जानकारी हुई की कब्जासुदा खातेदारी की सम्पति कृषि भूमि, पेड़, कुआं, नलकूप व संरचना सहित कब्जा सुपुर्द करने हेतु कहा गया है। जिस सूचना प्रपत्र में प्रार्थी को देय प्रतिकर के रूप में मुआवजा राशि के निर्धारित की सूचना प्राप्त हुई है, अवाप्ति में शामिल सम्पति के मेनेजमेन्ट, लेण्ड वेल्थू, मुआवजा प्राप्त करने के निर्धारण एवं मुआवजा के निर्धारण बाबत अवाप्ति में शामिल भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स, पेड़ पौधे, दीवार आदि के मुआवजे का सही निर्धारण न किये जाने के कारण प्रार्थी ने रकम स्वीकार नहीं की है।



2(2)- प्रार्थी की ग्राम रेण के खसरा नम्बर 78 में से 0.625 हैक्टर भूमि को अवाप्त किया है। अवाप्ति कार्यवाही किये जाने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया एवं गलत रूप से आपत्ति टोस आधारों पर नहीं होना मानकर दिनांक 4.4.2013 को अस्वीकार करने की खानापूति करते हुए अवार्ड पारित किया है। अवाप्ति अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने चाहिए था, तत्पश्चात साक्ष्य सबूत का अवलोकन पश्चात उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

2(3)- यह है कि विवादित भूमि में आवासीय कॉलोनी महादेव नगर के नाम से विकसित की हुई है जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 3(छ)(1)(2) के अन्तर्गत पारित निर्धारण आदेश की नकल से प्रार्थीनी को ज्ञात हुआ की जो भूमि अवाप्त की गई है उस भूमि का मुआवजा सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है तथा भूमि व पेड़ों आदि का मुआवजा बाजार कीमत से बहुत कम निर्धारण किया गया है। क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी की यह जानकारी में था कि विभिन्न न्यायालयों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं कि डी.एल.सी. की दरों केवल मात्र राज्य सरकार द्वारा स्टॉम्प ड्यूटी व पंजीयन की गणना हेतु मान्य हैं। डी.एल.सी. के आधार पर किसी भी अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है कि मुआवजे का निर्धारण किया जा सके। जिस विधिक दृष्टि को नजर अंदाज करते हुए जानबूझकर गलत अवार्ड पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)- भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड मनमाने ढंग से डी.एल.सी. दरों एवं वर्तमान प्रचलित वास्तविक बाजार दरों की तुलना को बिना कोई साक्ष्य सबूत और सुनवाई के आधार पर डी.एल.सी. दर पर मुआवजे का निर्धारण किया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि का मौके पर भूमि अवाप्ति से पूर्व से ही आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है किन्तु अवाप्ति अधिकारी द्वारा कृषि भूमि मानकर मुआवजा का निर्धारण किया गया है, जो पूर्णतया गलत है। भूमि विकसित ऐरिया में स्थित आवासीय भूमि है एवं बाजार मूल्य डी.एल.सी. दर से अधिक है इसलिए प्रतिकर वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर ही दिया जाना चाहिए था। किन्तु प्राधिकृत अधिकारी ने मनमाने ढंग से मुआवजा निर्धारण करने की विधिक भूल की है।

2(5)- भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3(छ)(7) के उपपैरा (क) से (घ) में यथावर्णित बिन्दुओं के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण करना आज्ञापक है लेकिन प्राधिकृत अधिकारी ने अवाप्ताधीन भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण करते समय धारा 3(क) के प्रकाशन की दिनांक 28.3.12 को प्रभावी डी.एल.सी. दर 58/-रूपये प्रतिवर्ग फुट को नजरअन्दाज कर अवाप्त भूमि की अलग से डी.एल.सी. दर निर्धारित है एवं अलग से डी.एल.सी. दर निर्धारित होने के बावजूद भी इस तथ्य की अनदेखी कर गांव की साधारण कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से प्रतिकर निर्धारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)- विवादित भूमि के संबंध में वास्तविक बाजार मूल्य ग्राम रेण के लिए इस विवादित भूमि की डी.एल.सी. दर के अनुसार या वास्तविक कीमत(बाजार मूल्य) या दोनों में से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार संदेय किया जाना चाहिए था एवं इस प्रकार ज्ञात बाजार मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धारा 3(छ)(7)(2) के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए थी। परन्तु अवाप्ति अधिकारी ने इन आज्ञापक प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए मुआवजा आदेश पारित किया है, जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा (जी)(7) के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी को बाजार मूल्य का अवधारण करने के निर्देश दिये गये हैं। भूमि का बाजार मूल्य का अवधारण डी.एल.सी. दर के अनुसार ही किये जाने का कोई निर्देश इस अधिनियम के अनुसार नहीं है। स्टाम्प एक्ट 2004 के नियम 58 के अनुसार बाजार दर का निर्धारण हेतु तैयार डी.एल.सी. दर केवल भूमि बाजार दर

कलक्टर, नागौर



का परिकलन है न की निश्चायक प्रमाण। विवादित भूमि आवासीय भूमि है इस कारण इसका बाजार मूल्य विकसित आवासीय कॉलोनी की भूमि के अनुसार निर्धारित किया जाना होता है साथ ही भूमि का बाजार मूल्य अवाप्त की जाने वाली भूमि के विकास की संभावना को देखकर किया जाता है चूंकि विवादित भूमि नेशनल हाईवे के चिपते हुए स्थित है। इस कारण इस भूमि में विकास की संभावना अत्यधिक है। लिहाजा इस भूमि का बाजार मूल्य काफी अधिक है केवल मात्र डी.एल.सी. दर और वो भी कृषि भूमि मानकर जो मुआवजा निर्धारण किया है वह गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राज. स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल बनाम बालाराम व अन्य में पारित निर्णय आर.आर.डी. 2011 पेज 842 के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और भूमि के विकास की संभावना के मद्देनरज किया जाना आज्ञापक है।

2(8)—यदि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने बाजार मूल्य के आधार पर अवाप्ताधीन भूमि का विनिश्चय नहीं किया है और केवल मात्र डी.एल.सी. रेट के आधार पर अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का विनिश्चय किया जाता है तो उन्हे हस्तगत भूमि के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होने के आधार पर उन सभी मापदण्डों को उपयोग में लेना चाहिए था, जिनको कि सम्पत्ति के विक्रय के समय पंजीयन के दौरान काम में लिया जाता है अर्थात् सर्वप्रथम तो हस्तगत भूमि का निर्धारण बाजार मूल्य के आधार पर करते हुए इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई होने के आधार पर व्यवसायिक मानकर व्यवसायिक दर के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाना जरूरी था, जो नहीं किये जाने से वर्तमान प्रकरण में मुआवजे का पुनःनिर्धारण किया जाना न्यायसंगत होने का वकील प्रार्थीनी द्वारा कथन करते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजे के संबंध में पारित अर्वाड को निम्नानुसार संशोधित/परिवर्तित करते हुए नया अर्वाड पारित करने का निवेदन किया।

(1) भूमि की बाजार दर डी.एल.सी. के अनुसार 58/-रूपये प्रति वर्गफुट है। इसी बाजार दर के अनुसार मुआवजा पुनः निर्धारित किया जावे।

(2) उक्त भूमि की बाजार दर के अनुसार मुआवजा तय कर उस राशि पर सोलेसियम व इन दोनों पर 18 प्रतिशत ब्याज भी उक्त राशि पर दिलाया जावे।

3(1)— वकील अप्रार्थीगण राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील प्रार्थीनी की बहस का विरोध करते हुए स्वयं द्वारा प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम रेण तहसील मेड़ता सिटी में खसरा नम्बर 78 के रकबा 0.625 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण सड़क विकास कार्य के लिए किया जाकर विधि अनुसार मुआवजा निर्धारित करके प्रार्थीनी को भुगतान प्रस्तावित किया गया है, जो पूर्णतः सही है।

3(2)— भूमि अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्रावधानों के तहत की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए), 3(सी), 3(डी) के तहत समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी करके स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया था। समस्त प्रभावितों को सूचित किया गया था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया गया है। प्रभावितों से आपत्तियों आमंत्रित की गई एवं व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। तत्पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार मुआवजा अर्वाड पारित करने भुगतान प्रस्तावित किया गया है, जो सही है।

3(3)— भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही के लिए नियमानुसार 3ए, 3डी की अधिसूचनाओं के प्रकाशन के अलावा धारा 3(जी)(I) के तहत मुआवजा निर्धारण कर भुगतान प्रस्तावित किया गया जो विधिक प्रावधानों एवं तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार सही किया गया है।

3(4)— अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की किस्म के अनुसार व एवं कब्जाधारी/स्वामी को भुगतान प्रस्तावित किया जाता है। भूमि में स्थित पेड़ों की कीमत भी वन विभाग द्वारा प्रस्तावित संख्या के अनुसार मूल्य अनुसार दिया जाता है। भूमि की दर का निर्धारण भी



बाजार मूल्य के अनुसार किया जाकर मुआवजा प्रस्तावित किया जाता है। अतः समस्त प्रकार से नियमों को ध्यान में रखते हुए ही प्रार्थीनी को मुआवजा भुगतान प्रस्तावित किया गया है, जो सही है।

3(5)— भूमि का मुआवजा तत्समय प्रचलित वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार ही किया गया है। डी.एल.सी. दरों को ध्यान में रखते हुए भूमि की उपयोगिता आदि को भी ध्यान में रखा गया है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म के अनुसार नियमानुसार मुआवजा दिया गया है।

3(6)— अवाप्त की गई भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार ही मुआवजा निर्धारित किया गया है। धारा 3(छ) 7(2) की पालना में निर्धारित मुआवजे पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी दी गई है।

3(7)— सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विवादित भूमि के लिए मुआवजा निर्धारण हेतु बाजार दर का अवधारण किया गया था। इसके लिए डी.एल.सी. दरों को ध्यान में रखा गया, भूमि की उपयोगिता को भी ध्यान में रखा गया। केवल मात्र डी.एल.सी. दरों को ही आधार नहीं बनाया गया है। मुआवजा निर्धारण सही तरीके से तथा अधिकतम दर को बाजार मूल्य अवधारित करके निर्धारित किया गया है।

3(8)— सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विवादित भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार सही किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक चिपती होने से भूमि व्यवसायिक नहीं हो जाती है। व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के लिए रूपान्तरण करवाने के पश्चात ही व्यवसायिक दर देय हो सकती है। राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया की वकील प्रार्थीनी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की बाजारू डी.एल.सी. के अनुसार 58/- रूपये प्रति वर्गफुट इस अनुसार मुआवजा पुनः निर्धारित करने का कथन किया है, जो गलत है। क्योंकि वकील प्रार्थीनी द्वारा बताई गई उक्त दरें भूखण्ड का प्लॉट के रूप में बैचान पर देय है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी की अवाप्तशुदा भूमि, असिंचित कृषि भूमि होने से उक्त भूमि की ग्राम रेण की असिंचित कृषि भूमि की दर 1,25,083/-रूपये प्रति हेक्टर की दर से मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जो विधि सम्मत है। समक्ष भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवधारित मुआवजा राशि में कोई परिवर्द्धन/संशोधन/पुनर्निर्धारण किया जाना उचित नहीं होने का कथन करते हुवे वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी का आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

4—वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार—

4(1)— अजमेर-नागौर खण्ड के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या-1017(अ) दिनांक 4.5.2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। जिस पर धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सम्पादित करते हुए अवार्ड दिनांक 23.7.2014 को जारी किया गया है। इस अवार्ड के तहत इस प्रकरण में प्रार्थी की ग्राम रेण के खसरा नम्बर 78 में से 0.625 हेक्टर भूमि बारानी-2 किस्म का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल मुआवजा 1,08,917/-रूपये निर्धारित किया गया।

4(2)— अवार्ड दिनांक 23.7.2014 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 04.05.12 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 10.11.2012 व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.11.2012 में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी। उक्त संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर आपत्तिकर्ताओं की जरिये व्यक्तिगत/अधिवक्ता सुनवाई की जाकर प्राप्त सभी आपत्तियां उचित/ठोस आधारों पर नहीं होने से सभी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की

धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 3.5.13 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं सांध्य ज्योति दर्पण में दिनांक 27.7.13 में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी, मगर तत्समय प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन ठोस आधार पर नहीं है।


4(3)- मुआवजा राशि बाजारू कीमत पर नहीं देकर डी.एल.सी. दर के आधार पर दिये जाने को लेकर वकील प्रार्थीनी का कथन है। उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सड़क के सन्दर्भ में उप पंजीयक द्वारा धारा 3ए की दिनांक की मार्केट वेल्यू (डीएलसी वेल्यू) उसे अवाप्त शुदा भूमि की कीमत मानकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है। डी.एल.सी. दर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता आदि का पूर्ण ध्यान रखते हुए तय की जाती है।

4(4)- वकील प्रार्थीनी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की बाजारू डी.एल.सी. के अनुसार 58/- रुपये प्रति वर्गफुट इस अनुसार मुआवजा पुनः निर्धारित करने का कथन किया है। उक्त संबंध में वकील अप्रार्थीगण का कथन की वकील प्रार्थीनी द्वारा बताई गई उक्त दरें भूखण्ड का प्लॉट के रूप में बैचान पर देय है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी की अवाप्तशुदा भूमि, असिंचित कृषि भूमि होने से उक्त भूमि की ग्राम रेण की असिंचित कृषि भूमि की दर 1,25,083/-रुपये प्रति हेक्टर की दर से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार वकील अप्रार्थीगण का कथन उचित प्रतीत होता है।

4(5)- प्रार्थीनी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचनाओं एवं पेड़ों के मुआवजा को लेकर अपने प्रार्थना पत्र में उज्र लिया है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थीनी की अवाप्तशुदा भूमि पर किसी प्रकार की संरचना नहीं पाये जाने पर संरचना के संबंध में किसी प्रकार का मुआवजा का निर्धारण नहीं किया गया है परन्तु प्रार्थीनी की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित पेड़ों के संबंध में मुआवजा रुपये 22,923/- का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा किस संरचना का मूल्यांकन नहीं हुआ है तथा कितने पेड़ अवाप्ति क्षेत्र में आये जिनका मुआवजा निर्धारण नहीं हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। संरचनाओं का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की कमेटी द्वारा करवाया जाना एवं वृक्षों का मूल्यांकन वन विभाग के अधिकारी द्वारा, जो कि इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ है के द्वारा ही किया गया जाना प्रतीत होता है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(2) के अन्तर्गत अर्जन किये जाने वाली भूमि के उपयोग का अधिकार ऐसे अर्जन के कारण प्रभावित होता है, तो भूमि के मुआवजे की राशि का 10 प्रतिशत राशि संगणित किये जाने के प्रावधान है। प्रस्तुत मामले में अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त 10 प्रतिशत राशि को मुआवजा में शामिल किया गया है।

5-उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अर्वाई दिनांक 23.7.2014 को यथावत कायम रखा जाता है। अधिनस्थ का मूल रिकार्ड अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं होने पर लौटाया जावे।

6-ओदश सुनाया।



(कुमार मूल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर